



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2006 - 2007

श्रीमती वसुन्धरा राजे

मुख्यमंत्री
का
बजट भाषण

8 मार्च 2006
फाल्गुन शु. ६, विक्रम संवत् २०६२

माननीय अध्यक्ष महोदया,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2005—06 के संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2006—07 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ।

2. माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय बोलते हुए मैंने आपसी सहयोग से एक नया अध्याय जोड़ने की प्रार्थना इस सदन से की थी। ये प्रार्थना इस राज्य के उज्ज्वल भविष्य की कामना से प्रेरित है। गरीबों के हृदय की वेदना को पूरी संवेदना के साथ समझना और जिस हद तक हो सके उसे कम करना ही हमारी पहली और आखिरी जिम्मेदारी है। हमें राजनीति को उस सोपान तक पहुँचाना है, जहाँ सत्ता और जनता के बीच सेतु बनने पर हम गर्व कर सकें। वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के सपनों को साकार करने का संकल्प दोहरा सकें।

3. गत वर्ष देश के दक्षिणी और पूर्वी भाग ने सुनामी की त्रासदी झेली थी। इस वर्ष देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों ने प्राकृतिक आपदाओं की विनाश लीला देखी। मैं कश्मीर में भूकंप से हताहत व महाराष्ट्र में बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के प्रति सदन एवं अपनी ओर से सहानुभूति प्रकट करना चाहती हूँ।

4. अतीत को पीछे छोड़ते हुए, वर्षों से बंद मुनाबाव—खोखरापार मार्ग को पुनः शुरू करने के साथ, भविष्य के नये द्वार खुले हैं। इससे पड़ोसी देश से भाईचारे व मित्रता के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का

मार्ग प्रशस्त हुआ है। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ यदि हमें प्रगति करनी है, और समृद्धि की ओर बढ़ना है तो हमें Outward looking होना पड़ेगा। हमें न केवल विश्व भर के पर्यटकों, बल्कि देश-विदेश के निवेशकों को भी आकर्षित करना होगा। अगर राज्य की सरहदें बड़ी हैं, तो निसंदेह उसका हृदय उससे भी विशाल है। मेरी कामना है कि हम अपने राज्य की पारंपरिक उदारता और सांस्कृतिक विविधता के साथ संसार का स्वागत करें, पर साथ ही अपनी गरिमापूर्ण विरासत की रक्षा करने में भी तत्पर रहें।

5. पूर्व से चल रही अनेक योजनाओं के अलावा, विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए, गत दो वर्षों में हमारी सरकार ने अनेक अभिनव योजनाएँ प्रारंभ कीं। Gaps को भरने हेतु नई योजनाएँ आवश्यक हो सकती हैं, पर उतना ही महत्त्वपूर्ण है इनका, और पूर्व से चल रही योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। तभी schemes पर किये जा रहे व्यय का लाभ गरीबों और वंचित वर्गों को मिल सकेगा। अतः मैं चाहूँगी कि आगामी वर्ष 'समेकन वर्ष' (Year of Consolidation) हो। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का आवाहन करती हूँ कि इन सभी योजनाओं की वास्तविक तथा समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने के प्रति, हम सब आने वाले समय में सतर्क और समर्पित रहें।

6. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें इस वर्ष से क्रियान्वित की जा रही हैं। इन सिफारिशों के अंतर्गत हमारा केन्द्रीय करों में हिस्सा

मामूली वृद्धि के साथ 5.473 प्रतिशत के स्थान पर 5.609 प्रतिशत हो गया है। सड़क व भवन मरम्मत, विरासत संरक्षण, नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु हम सहायता प्राप्त करने में सफल हुए हैं। साथ ही, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं मरु-प्रधान व सीमांत जिलों में पीने के पानी की व्यवस्था-के लिए विशेष सहायता हेतु सहमति हुई है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में 20 करोड़ रुपये एवं वनों के संरक्षण हेतु 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की सांकेतिक सहायता देने की सिफारिश भी वित्त आयोग ने की है।

7. केन्द्र सरकार द्वारा तीन प्रकरणों में ग्यारहवें एवं बारहवें वित्त आयोगों की अनुशंषाओं के अनुसार निर्णय नहीं लेने से, हमारे संसाधनों में कमी आई है।

8. सबसे पहले, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों में राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को कम करने एवं FRBM Act लागू करने पर ऋण राहत (debt waiver) तथा ऋण समेकन (debt consolidation) की व्यवस्था है। मैं गर्व के साथ सूचित करना चाहती हूँ कि हम ऋण समेकन तथा ऋण राहत दोनों सुविधाओं के पात्र हो गये हैं। इस कारण हमारा बकाया केन्द्रीय ऋण समेकित कर दिया गया है। किंतु केन्द्र सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे चालू वर्ष में debt write-off स्वीकृत करेंगे या नहीं। इस कारण से, संशोधित अनुमानों में, मैंने इस लगभग 332 करोड़ रुपयों की प्राप्ति को शामिल नहीं किया है।

9. दूसरा, ग्यारहवें वित्त आयोग की ऋण राहत योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा आवश्यक शर्तें पूरी कर लिये जाने के आधार पर, हमें वर्ष 2005-06 में 307 करोड़ रुपये की ऋण राहत अपेक्षित थी, परंतु हमें केवल 29 करोड़ 80 लाख रुपये ही स्वीकृत किये गये हैं। यद्यपि हमने केन्द्र सरकार से इस ऋण राहत की स्वीकृति को संशोधित करने हेतु अनुरोध किया है, किंतु संशोधित अनुमानों में केवल 29 करोड़ 80 लाख रुपये का ही प्रभाव डाला गया है।

10. तीसरा, केन्द्र सरकार ने उन्नयन अनुदान व विशेष समस्या अनुदान के अंतर्गत 21 मार्च 2005 के पश्चात् प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को भी स्वीकार करने से मना कर दिया। जब कि ग्यारहवें वित्त आयोग की Award अवधि 31 मार्च 2005 तक की थी। मेरी दृष्टि में Award अवधि के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने से इंकार करना, वस्तुतः Award अवधि को कम करने के समान है। केन्द्र सरकार के इस कदम से 26 करोड़ रुपये की राशि हमें कम प्राप्त हुई।

11. उपरोक्त कारणों से हमारे योजनागत संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। केन्द्रीय वित्त मंत्री जी के साथ दो बार, और प्रधानमंत्री जी के साथ एक बार, मैं व्यक्तिगत भेंट कर चुकी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि चूंकि यह मामला राजस्थान के विकास से संबंधित है, अतः विपक्ष भी, राजस्थान की जनता को केन्द्र सरकार से उसका वाजिब हक दिलवाने में हमारा साथ देगा।

12. लेकिन, इन कमियों, और राजकोषीय घाटे को सीमित रखने की अनिवार्यता के बावजूद हमने योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजना के पोषण में कमी नहीं आने दी। यह निश्चय ही हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का द्योतक है। योजना का संशोधित आकार 8 हजार 155 करोड़ 23 लाख रुपये है। हमें विश्वास है कि हम योजना के संशोधित लक्ष्य का 95 प्रतिशत से अधिक अर्जन करेंगे।

योजनागत विनियोजन :

13. आगामी वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना का आकार योजना आयोग ने 8 हजार 501 करोड़ 41 लाख रुपये निर्धारित किया है। बजटीय प्रावधान इससे कुछ अधिक 8 हजार 562 करोड़ 54 लाख रुपये है, जो कि वर्ष 2005-06 के संशोधित आकार से 407 करोड़ 31 लाख रुपये अधिक है। निश्चय ही सदन के माननीय सदस्य हमारी इस उपलब्धि को महत्त्व देंगे कि, बारहवें वित्त आयोग के प्रावधानों में राजकोषीय घाटे को सीमित रखने की चुनौती के बावजूद, हम योजना के बढ़े हुए आकार को और बढ़ाने में सक्षम रहे हैं।

14. माननीय सदस्यों को विदित होगा कि, मैंने पिछले बजट में Gender Auditing की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इस वर्ष प्रमुख चिन्हित विभागों – शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा कृषि विभाग में यह कार्य हाथ में लिया गया। इन विभागों का अध्ययन करने से कुछ

महत्त्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं, जिन्हें मैं सदन के सामने विचार हेतु रखना चाहूँगी।

15. राज्य में महिलाओं द्वारा कृषि भूमि क्रय करने पर मुद्रांक शुल्क दर 11 प्रतिशत से घटाकर 5.5 प्रतिशत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, जनवरी 2004 की पहली तिमाही में जहाँ महिलाओं के नाम पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों की संख्या 8 हजार थी, वह अगली ही तिमाही में बढ़कर 34 हजार पहुँच गई। अगले 9 महीने, अर्थात् जुलाई 2004 से मार्च 2005, तक यह बढ़कर 67 हजार हो गई। इसके अगले 9 महीनों, अप्रैल 2005 से दिसंबर 2005, में यह संख्या एक लाख पहुँच गई। इस अनूठी पहल से दो वर्षों से भी कम अवधि में 2 लाख से अधिक महिलाओं को भूमि का मालिकाना हक मिला। यह उनके सशक्तीकरण की दिशा में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम है।

16. Draft Report के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक स्तर पर, छात्राओं के enrolment एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ठहराव की दर, दोनों ही बढ़ी हैं। वर्ष 2000–2001 में enrolment में जहाँ छात्राओं का प्रतिशत 32.60 था, वह बढ़कर वर्ष 2004–05 में 38.96 प्रतिशत पहुँच गया। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ठहराव दर 80.73 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2003–04 में बढ़कर यह 87.85 प्रतिशत हो गई। परिणाम बताते हैं कि अगर छात्राएँ प्राथमिक स्तर पार कर लेती हैं, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर आसानी से drop-out नहीं होती। अतः हमें प्राथमिक स्तर

पर enrolment बढ़ाने व drop-out घटाने के लिए विशेष नीतिगत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

17. महिला शिक्षकों की संख्या वर्ष 2003–04 तक 25 प्रतिशत के आस-पास रही, जो संतोषजनक नहीं है। परंतु हाल ही में हमारे द्वारा की गई नियुक्तियों में 30 प्रतिशत आरक्षण करने, एवं 2 हजार 371 विधवाओं एवं 563 परित्यक्ताओं को नियुक्ति दिये जाने से इस स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है।

18. रिपोर्ट के अनुसार महाविद्यालय स्तर पर छात्राओं का enrolment अभी भी अपेक्षानुरूप नहीं है। वर्ष 2000–2001 से 2004–2005 तक enrolment में 1.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है। विशेषतः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं का enrolment बहुत कम है। स्पष्ट है कि हमें इन वर्गों की छात्राओं की शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने की विशेष आवश्यकता है।

19. उल्लेखनीय है कि राज्य में महिलाओं की संख्या लगभग 48 प्रतिशत है। हमारी सामान्य वित्तीय प्रक्रिया में बजट आवंटन लिंगानुपात के आधार पर तो नहीं किया जाता, फिर भी महिला आधारित कार्यक्रमों के व्यय में समय के साथ वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि महिला जनसंख्या की दृष्टि से 6 समकक्ष राज्यों में, बजटीय व्यय के आधार पर, हमारा प्रदेश महिला स्वास्थ्य में प्रथम, महिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण में

द्वितीय और जरूरतमंद महिलाओं की सहायता कार्यक्रमों में तृतीय स्थान पर रहा है। फिर भी, मैं मानती हूँ कि और सुधार की आवश्यकता है।

20. आने वाले वर्षों में, योजना बनाते समय, उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखा जायेगा। आगामी वर्ष में Gender Budgeting and Auditing प्रक्रिया का और विस्तार किया जाना भी प्रस्तावित है।

21. बजट प्रक्रिया में समय के साथ परिवर्तन लाते हुए हमने Outcome Budgeting प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है, ताकि हम केवल वित्तीय प्रावधानों का ही नहीं, बल्कि योजनाओं के वास्तविक परिणामों का भी मूल्यांकन कर सकें। Outcome Budgeting के परिणाम प्राप्त होने पर मैं उनसे सदन को अवगत कराऊँगी।

आपदा प्रबंधन :

22. नोबल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अकाल के बारे में कहा है कि “ यह मान लिया जाता है कि इन आपदाओं से राहत पाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते,पर इस निराशावाद का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। उपयुक्त नीतियों एवं उनके क्रियान्वयन से निश्चित रूप से आज भूख की समस्या का समाधान हो सकता है.... [और] अकालों की समाप्ति संभव है।”

23. यह कथन इसलिये प्रासंगिक हो जाता है कि राजस्थान सुदीर्घ काल से, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, अकाल की

विभीषिका का सामना करता रहा है। अकाल राहत से आगे बढ़कर, अब हमें अकाल समाप्ति की ओर अग्रसर होना है।

24. संवत् 2061 में राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में न केवल संतोषजनक राहत प्रदान की गई, बल्कि स्थाई परिसंपत्तियों का सृजन भी किया गया। Material Component में पहली बार 50 करोड़ रुपये का विशेष बजट प्रावधान योजना मद में किया गया। संवत् 2062 में भी राज्य के 22 जिलों के 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर, जनवरी की प्रथम तिथि से राहत कार्य आरंभ कर दिये गये हैं।

25. वित्तीय वर्ष 2005—06 के लिए C.R.F. मद के अंतर्गत वित्त आयोग द्वारा राज्य के लिए 415 करोड़ 64 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 311 करोड़ 73 लाख रुपये केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त किये जाने हैं। इस वर्ष इसमें से 155 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त हुई। द्वितीय किश्त की राशि, 155 करोड़ 86 लाख रुपये जो दिसंबर 2005 में ही प्राप्त हो जानी चाहिये थी, अभी तक प्राप्त होनी शेष है। जब कि अकाल राहत पर इस वित्तीय वर्ष में लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

26. निःशक्त, निर्बल व निर्धन वर्गों को संबल देना प्रथम बजट से ही मेरी प्राथमिकता रही है। आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस

बजट को मैं स्त्रीशक्ति के नाम समर्पित (dedicate) करना चाहूँगी। परंपरागत रूप से यह माना जाता रहा है कि महिलाओं का विकास आधारभूत आवश्यकता है, किंतु मेरे विचार से हमारे आधारभूत विकास के लिए महिला शक्ति की आवश्यकता अधिक है (if women need development, then development also needs women)।

27. अब तक संगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की अनेक योजनायें क्रियान्वित की गई हैं, किन्तु निर्धनतम वर्ग इनसे वंचित रहा है, हालांकि सामाजिक सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं को है। इतनी गरीबी, ऊपर से कमाई के एक मात्र स्रोत की मृत्यु अथवा उसकी शारीरिक क्षति ! ऐसी बेचारी अबला और उसके छोटे-छोटे बच्चों पर क्या गुजरती होगी यह सोचकर ही आँखों में आँसू नहीं ठहरते, ऐसे परिवारों की ओर हमें मदद का हाथ बढ़ाना ही होगा।

28. इसलिए आगामी वर्ष में प्रत्येक B.P.L. परिवार को बीमा का लाभ देने के लिए पन्नाधाय जीवन-अमृत योजना की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत बीमा हेतु प्रीमियम राशि में उसका अंश राज्य सरकार वहन करेगी। दुर्घटना में दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर बीमित परिवार को 50 हजार रुपये और प्राकृतिक मृत्यु की अवस्था में 20 हजार रुपये की राशि प्राप्त होगी। गंभीर शारीरिक क्षति होने पर 50 हजार रुपये, और सामान्य शारीरिक क्षति में 25 हजार रुपये की राशि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक B.P.L. परिवार के ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों

को बीमा कंपनी द्वारा 100 रुपये प्रतिमाह, या 1200 रुपये प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 22 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। निश्चय ही यह कार्यक्रम हमारी सरकार द्वारा समाज की निर्धनतम महिला और राज्य की अंतिम नागरिक तक पहुँचने की प्रतिबद्धता की दिशा में एक और कदम होगा।

29. महिला विकास कार्यक्रम के सुदृढीकरण के लिए सभी महिला विकास अभिकरणों में जिला स्तरीय अधिकारी होने आवश्यक हैं। अतः मैं पूर्व सरकार द्वारा Abeyance में किये गये उक्त सभी पदों को पुनर्जीवित कर भरने की घोषणा करती हूँ।

30. प्रसन्नता का विषय है कि राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। अब तक 1 लाख 4 हजार स्वयं सहायता समूहों में 11 लाख से भी अधिक महिलायें संगठित हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से 55 हजार समूहों को 100 करोड़ रुपयों से अधिक के बैंक ऋण प्रदान किये जा चुके हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 20 हजार नये स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाकर लगभग 2 लाख और महिलाओं को इस अनुष्ठान में शामिल किया जायेगा।

31. आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पूर्व में कार्यरत 35 हजार सहयोगिनियों की उपयोगिता को देखते हुए, आगामी वर्ष में, नये आँगनबाड़ी केन्द्रों

हेतु 11 हजार नई सहयोगिनियों का चयन किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वित्तीय वर्ष में 44 लाख 62 हजार बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, धात्री माताओं तथा किशोरियों को पूरक पोषाहार वितरित किया जायेगा। इसके लिए चालू वर्ष की तुलना में लगभग 25 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष में 179 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

32. वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है। हम स्वयं के स्तर पर ही इस अभाव को पूरा करना चाहते हैं। किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 3 हजार केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य आगामी वर्षों में संपन्न कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए राज्य सरकार आवश्यक वित्त पोषण करेगी।

33. वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन 200 रुपये मासिक है जिसमें 75 रुपये भारत सरकार का योगदान रहता है। भारत सरकार ने अपने इस योगदान को 125 रुपये बढ़ाते हुए, राज्य सरकार से भी 200 रुपये जोड़कर, इस मासिक पेंशन को 400 रुपये करने की अपेक्षा की है। हमें इस अपेक्षा के अनुरूप बराबर भागीदारी मंजूर है। अतः ऐसे वृद्धावस्था पेंशनर्स, जो कि केन्द्र सरकार के norms के अनुसार पात्र हैं, उन्हें 1 अप्रैल 2006 से 400 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देय होगी।

34. जनजातीय विकास के प्रति भी मैं सदैव से चिंतित रही हूँ। इस हेतु पूर्व सरकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल में योजनामद में

262 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था, जब कि हमने तीन वर्षों में ही 364 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है।

35. आगामी वर्ष में उदयपुर संभाग में अनुसूचित जनजाति के 500 विद्यार्थियों हेतु 4 बालक तथा 6 बालिका कुल 10 नवीन आश्रम छात्रावासों का संचालन प्रारंभ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 9 आवासीय विद्यालयों में भी कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करना प्रस्तावित हैं। जनजातीय क्षेत्र में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययन सुविधा का विस्तार करते हुए नये विषय एवं संकाय प्रारंभ किये जायेंगे। छात्राओं की अभिरुचि को देखते हुए गृह विज्ञान को प्राथमिकता दी जायेगी।

36. समाज कल्याण हेतु पूर्व सरकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल में योजनामद में किये गये कुल प्रावधान की तुलना में हमने तीन वर्षों में ही 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करते हुए 262 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है।

37. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 697 छात्रावासों में निवास कर रहे विद्यार्थियों के लिए भोजन, वस्त्र व अन्य सुविधाओं के लिए वर्तमान में प्रति विद्यार्थी 675 रुपये प्रतिमाह व्यय किये जा रहे हैं, इसे आगामी शिक्षण सत्र से 50 रुपये बढ़ाकर 725 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। इससे 28 हजार से अधिक विद्यार्थियों

को लाभ मिलेगा, जिसके लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

38. किराये के भवनों में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 95 छात्रावासों के लिए राजकीय भवनों का निर्माण प्रारंभ किया जायेगा। इस निर्माण कार्य पर प्रति छात्रावास 35 लाख रुपये की दर से अगले दो वर्षों में कुल 33 करोड़ 25 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। इस हेतु राज्य सरकार आगामी वर्ष 8 करोड़ 32 लाख रुपये उपलब्ध कराएगी।

39. नवगठित संभाग भरतपुर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु आगामी वर्ष में जन-सहभागिता के आधार पर छात्रावास प्रारंभ किया जायेगा।

40. विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रायः रोजगार की समस्या रहती है। दोनों हाथों या दोनों पैरों अथवा दोनों आँखों से विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आगामी दो वर्षों में एक हजार Kiosk, अथवा Mobile Kiosk तैयार करवाकर आवंटित किये जायेंगे।

41. नशे की दुष्प्रवृत्ति से विशेष प्रभावित जिलों में भूतपूर्व सैनिकों के स्वैच्छिक सहयोग से निजी-सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर नये नशा मुक्ति केन्द्र खोले जायेंगे।

42. राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों पर आगामी वर्ष में स्वयं-सिद्धा योजना प्रारंभ की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत ऐसे केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, जिनमें विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।

43. Mid-day Meal योजना में राज्य सरकार द्वारा अपनी तरफ से विशेष पहल करते हुए प्राथमिक कक्षा के बच्चों को सभी स्कूल दिवसों में गरम पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था की गई, ताकि बच्चे केवल उबले गेहूँ की घूघरी खाने को विवश न हों। इस हेतु न केवल राज्य द्वारा अंशदान बढ़ाया गया है, बल्कि इसके समुचित प्रबंधन हेतु अनेक निजी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इससे जोड़ा गया है। सहकारिता विभाग द्वारा महिला समितियों को इस योजना से जोड़ते हुए कुल 467 अन्नपूर्णा सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भोजन पकाने के लिए बर्तनों की व्यवस्था की जा रही है व शिक्षा विभाग द्वारा भी ऐसे विद्यालयों में रसोई घर बनाने की योजना चल रही है। मदरसा बोर्ड के माध्यम से मदरसों में भी इस हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जा रहा है। इस व्यवस्था के समुचित प्रशासनिक प्रबंधन हेतु राज्य स्तर से लेकर पंचायत समिति स्तर तक विशेष Monitoring Unit गठित की जा रही है व इस हेतु अलग से निदेशालय बनाया जा रहा है। इसी क्षेत्र में पहल करते हुए गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए भी शहरी क्षेत्र में न्यूनतम मूल्य पर भोजन

उपलब्ध कराने के कार्यक्रम में नगर सुधार न्यासों को सम्मिलित किया जायेगा ।

44. गरीब परिवार के बच्चों को हम शिक्षा के साथ कम से कम एक वक्त पौष्टिक भोजन सुलभ करा सकें, तो मैं समझती हूँ, इससे बड़ा धर्म का कार्य कोई नहीं होगा । इस महायज्ञ में बंगलोर तथा हैदराबाद जैसे दूरस्थ स्थानों की अक्षय पात्र तथा नान्दी फाउंडेशन जैसी संस्थाएँ भी यहाँ आकर महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं । इस तरह की स्वैच्छिक सहायता को व्यवस्थित करने हेतु मैं Mid-day Meal Trust बनाने की घोषणा करती हूँ । इसमें दिया गया योगदान आयकर अधिनियम के तहत आयकर से मुक्त करवाया जायेगा । सभी जिलों में इस ट्रस्ट की शाखाएँ खोली जायेंगी, जो जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कार्य करेंगी । और इनमें जिले के गणमान्य व्यक्ति एवं अधिकारी शामिल होंगे ।

45. इस हेतु मैं राज्य के सभी संपन्न वर्गों—उद्यमियों, व्यवसायियों, जन-प्रतिनिधियों, राज्य कर्मचारियों व नागरिक बंधुओं का आवाहन करती हूँ कि इस पुनीत कार्य हेतु अपनी आय का कम से कम एक प्रतिशत भाग इस ट्रस्ट को दान दें । मैं स्वयं अपना वेतन, जो मैं मुख्यमंत्री होने के नाते प्राप्त करती हूँ, का दस प्रतिशत इस ट्रस्ट को दूँगी । मैं समझती हूँ कि सदन में मेरे साथी इस अनुष्ठान में मुझसे आगे ही रहेंगे मुझसे पीछे नहीं ।

स्वास्थ्य :

46. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान विभिन्न सूचकांकों की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे है। “कृष्णंतोः विश्वमारोग्यम्”, (अर्थात् हम समस्त विश्व को नीरोग करें) के उद्घोष के साथ प्रदेश को हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने हेतु प्रयासरत हैं। समाज में मातृत्व असुरक्षित न रहे और बचपन असंरक्षित न रहे, इस हेतु इस वर्ष मुख्यमंत्री ‘पंचामृत’ अभियान शुरू किया गया है। इसके माध्यम से दूरस्थ गाँवों तक स्वास्थ्य एवं पोषण की पाँच प्रमुख सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी, व वंचित तबकों को स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सकेगा।

47. चिकित्सकों एवं अन्य Paramedical Staff की कमी राज्य में लंबे समय से चली आ रही समस्या थी। किन्तु पूर्व सरकार द्वारा पूरे पाँच वर्षों में वस्तुतः कोई भी नियुक्ति नहीं की गई। हमने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए गत वर्ष 558 चिकित्सकों, 372 नर्सों तथा 54 Nursing Tutors की नियुक्ति की सहमति दी। आगामी वर्ष में 100 चिकित्सकों, 200 ANM तथा 700 नर्सों की नियुक्ति चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु प्रस्तावित की जाती है।

48. चिकित्सा क्षेत्र में सामान्य आधारभूत संरचना का अभाव भी दूसरी बड़ी समस्या रहा है, जिसे हम चरणबद्ध ढंग से दूर करना चाहते हैं। आगामी वर्ष में निजी सहभागिता से 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों,

22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 100 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही चालू वर्ष की भाँति आगामी वर्ष में भी 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व 227 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण प्रारंभ किया जायेगा।

49. माननीय सदस्यों से विभिन्न चिकित्सालयों में उपलब्ध शय्याओं की संख्या में वृद्धि के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2006-07 में 14 विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की शय्या क्षमता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

50. कोटा मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय में भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

51. राजस्थान में अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष Operation Zero Cataract प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम प्रारंभ करते समय राज्य में लगभग 5 लाख व्यक्ति इस कारण अंधताग्रस्त थे। प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख 20 हजार व्यक्ति मोतियाबिंद के कारण इस संख्या में जुड़ जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2008 तक मोतियाबिंद के 9 लाख Operation कर, राज्य की अंधता प्रसार दर 0.34 प्रतिशत के स्तर तक कम कर, राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।

52. Cancer, Thalassemia तथा गुर्दा आदि रोग के रोगियों को Chemotherapy, Blood Transfusion तथा Dialysis आदि प्रक्रियाओं

की बार—बार आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मरीजों की सुविधा हेतु राज्य के 6 मेडिकल कॉलेज स्तर के अस्पतालों में Medicare Relief Society द्वारा Day Care Center खोले जाने प्रस्तावित हैं।

53. राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु एक नई निवेश प्रोत्साहन नीति वर्ष 2006—07 में लागू की जायेगी, जिससे निजी क्षेत्र के सहयोग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके। इस नीति में जनजातीय व दूरवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता से लिया जायेगा।

54. प्रदेश के 7 पर्यटन स्थलों पर देशी—विदेशी पर्यटकों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की पंचकर्म चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी क्षेत्र की भागीदारी में पंचकर्म केन्द्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। इस हेतु आधारभूत सुविधायें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केन्द्र का संचालन निजी क्षेत्र के सहयोग से किया जायेगा। इसके लिए 1 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक नीति तैयार की जायेगी।

55. पंचगव्य की औषधीय महत्ता सिद्ध हो चुकी है। इसके औषधीय विकास, निर्माण एवं वितरण हेतु सार्वजनिक—निजी सहभागिता के आधार पर आधुनिक पंचगव्य रसायनशाला की स्थापना की जायेगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष में 25 लाख रुपये की राशि

प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही गो-धन के विकास हेतु पंचगव्य से बने पदार्थों के उत्पादन को लघु उद्योग का दर्जा प्रदान किया जायेगा। गो-सेवा आयोग के लिए भी विभिन्न विकास कार्य हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, जो इस वर्ष में किये गये वास्तविक व्यय के अतिरिक्त होगा।

शिक्षा :

56. राजस्थान ने निरक्षरता का अभिशाप झेला है और उस अंतर्व्यथा से उबरते हुए, उसने साक्षरता में प्रगति की देश-विदेश में नई छाप छोड़ी है। आज के जमाने में वस्तुतः ज्ञान ही शक्ति है। शिक्षा के उन्नयन, शिक्षण संस्थानों के क्रमोन्नयन व शिक्षकों की नियुक्ति के क्षेत्र में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाये हैं।

57. वर्ष 2005-06 में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 1 हजार 905 वैकल्पिक पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित करते हुए, 950 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये तथा 1 हजार 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। आगामी वर्ष में लगभग 16 हजार राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जायेगा। परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश में इनमें से कोई भी राजीव गाँधी पाठशाला प्राथमिक पाठशाला में क्रमोन्नत होने से शेष नहीं रहेगी। इसके साथ ही 5 हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च

प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। इससे मध्यम स्तर पर drop-out की समस्या कम होगी।

58. इस वर्ष प्रारंभिक, माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत 37 हजार अध्यापकों को नियमित नियुक्ति प्रदान की गई तथा 7 हजार 200 अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। आगामी वर्ष में तृतीय श्रेणी के लगभग 26 हजार अध्यापकों, व द्वितीय श्रेणी के 5 हजार अध्यापकों, कुल लगभग 31 हजार अध्यापकों को नियुक्ति दी जायेगी।

59. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नॉबार्ड से ऋण प्राप्ति पर, लगभग 27 करोड़ रुपये की राशि से 1 हजार 387 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय व पेयजल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

60. पूर्व में चल रहे महिला शिक्षण विहारों की उपयोगिता को देखते हुए, चूरु जिले में भी निजी सहभागिता से महिला शिक्षण विहार खोला जायेगा।

61. राज्य सरकार का यह मत है कि अध्ययन पूरा होने पर campus selection के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध हो सके। स्नातक पाठ्यक्रम के साथ-साथ ऐसे Vocational Certificate Courses प्रारंभ करने हेतु, जिनके लिए UGC द्वारा seed money दी

जायेगी, राज्य सरकार भी एकमुश्त वित्तीय सहायता देगी। इस योजना हेतु आगामी वर्ष 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

62. विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों की छात्र संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु, एक स्थाई नीति बनाने की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य सरकार सभी stakeholders से बात कर उपयुक्त कदम उठायेगी। इसी प्रकार प्रदेश के महाविद्यालयों में निजी सहभागिता से 10 Knowledge Center स्थापित करने की योजना विभाग द्वारा शीघ्र जारी की जायेगी।

63. आगामी वर्ष में आसींद एवं टोडाभीम में निजी सहभागिता से महाविद्यालय खोलने हेतु भूमि एवं भवन निर्माण की 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराने की घोषणा करती हूँ। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे समस्त उपखंड, जहाँ राजकीय महाविद्यालय नहीं हैं, वहाँ निजी सहभागिता से महाविद्यालय संचालन हेतु राज्य सरकार निःशुल्क भूमि, तथा भवन निर्माण का 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करायेगी।

64. राजस्थान के पुरातत्व संरक्षण एवं पर्यटन विकास में संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है, किंतु राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में Museology विषय में शिक्षा नहीं दी जाती है। इस आवश्यकता को देखते हुए, आगामी वर्ष से राजस्थान विश्वविद्यालय में इस विषय की शिक्षा प्रारंभ की जायेगी।

65. रोजगार की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। राजस्थान में 12 जिलों में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तथा 113 पंचायत समितियों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं। इन स्थानों पर निजी सहभागिता से तकनीकी संस्थान स्थापित करने हेतु निःशुल्क राजकीय भूमि उपलब्ध करवाई जायेगी। महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा भवन भी निर्मित कराकर उपलब्ध कराया जायेगा। आगामी वर्ष इस हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

खेल एवं युवा शक्ति :

66. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में राजस्थान की भागीदारी बढ़ाने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने तथा खेल सुविधायें विकसित करने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। सरकार की योजना है कि राज्य का कोई भी जिला स्टेडियम से वंचित न रहे। इस क्रम में आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप में स्टेडियमों का निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बीकानेर में Velodrome का पुनरुद्धार किया जायेगा।

67. युवा आवासों के निर्माण के लिए प्रथम चरण में युवा गतिविधियों के विकास हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से 13 जिलों में युवा आवासों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

विज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी :

68. सूचना प्रौद्योगिकी हेतु गत सरकार के पाँच वर्षों के कार्यकाल में कुल 25 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था, जब कि हमारे शासनकाल में तीन वर्षों का प्रावधान ही 145 करोड़ रुपये है। हमने शासन और प्रशासन को सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त करने के लिए वृहद् प्रयास किये हैं, जिससे न केवल प्रशासनिक संरचना में गतिशीलता और पारदर्शिता आई है, बल्कि राज्य के मानव संसाधनों का भी विकास हुआ है।

69. प्रायः यह देखा गया है कि ग्रामीण व गैर-संस्थागत रूप से भी अनेक महत्त्वपूर्ण खोजें होती रहती हैं, और अनेक ऐसी उपयोगी तकनीकों का भी विकास हुआ है, जिन्हें समुचित पहचान नहीं मिल पाई है। राज्य सरकार द्वारा अन्वेषणों को प्रोत्साहित करने हेतु इनके पंजीयन, प्रयोग एवं प्रोत्साहन की एक विशेष श्यामा प्रसाद मुखर्जी विज्ञान दृष्टि योजना लागू की जायेगी। इसके अंतर्गत चयनित अन्वेषकों को सम्मानित करने के लिए विशेष पुरस्कार भी प्रारंभ किया जायेगा।

ग्रामीण विकास :

70. ग्रामीण विकास की 20 से भी अधिक योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक परिसंपत्ति निर्माण के कार्य किये जा रहे हैं। साथ ही इनके माध्यम से क्षेत्रीय विषमता को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। चालू वर्ष में जनवरी 2006 तक इन

योजनाओं पर 774 करोड़ 90 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। आगामी वर्ष में इन योजनाओं पर एक हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

71. हमारे गाँव हमारी विरासत के वे हिस्से हैं, जो विपुल संभावनाएं सँजोए हुए हैं। यँ तो गाँवों तथा ग्रामीण जनता के विकास के लिए अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है, परंतु राज्य सरकार तमाम योजनाओं को समन्वित करने के साथ एक आधुनिक और आदर्श गाँव का सपना साकार करना चाहती है। इस हेतु आगामी वर्ष से जन सहभागिता आधारित 'दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गाँव योजना' प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी, साथ ही नशा, विवाद एवं अपराध मुक्त गाँवों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस महत्त्वाकांक्षी योजना में चयनित गाँवों को तीन वर्ष के भीतर वृहद कार्ययोजना तैयार कर विकसित किया जायेगा। इस योजना के प्रथम चरण में 50 गाँवों को लिया जाकर, संबंधित विभागों के बजट का प्राथमिकता से इन गाँवों को आवंटन किया जायेगा। इसकी वृहद योजना पंचायती राज विभाग शीघ्र जारी करेगा।

72. Bio-fuel हेतु रतनजोत का वाणिज्यिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास संघ के माध्यम से अनवरत व निश्चित दर पर बीज ख़रीद कराने, बीज एवं तेल की बिक्री पर विभिन्न करों में छूट देने पर विचार किया जायेगा।

73. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में 33 हजार से अधिक नये आवास निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देते हुए कुल 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

74. मेवात क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत इस वर्ष 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से बालिकाओं के लिए 10 आवासीय विद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे। इसमें निजी सहभागिता भी आमंत्रित की जायेगी।

कृषि :

75. भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने तथा उर्वरक के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक मृदा परीक्षण (Soil Testing) प्रयोगशाला स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में सघन कृषि वाले जिलों में निजी सहभागिता से एक-एक अतिरिक्त मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना प्रस्तावित है, जिसकी योजना कृषि विभाग शीघ्र जारी करेगा। साथ ही इस वर्ष वितरित 1 लाख 60 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) की संख्या को दुगुने से भी अधिक करते हुए, आगामी वर्ष में 3 लाख 50 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जाना प्रस्तावित है।

76. किसानों को एक ही छत के नीचे आवास, नवीन तकनीक एवं आदान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, एक किसान भवन इस वर्ष

जयपुर में निर्माणाधीन है। इसी तर्ज पर राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर किसान भवन बनाया जाना प्रस्तावित है।

77. कृषि विषय का अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है, फिर भी कृषि विषय में छात्राओं की अभिरुचि कम है। यह विडंबना पूर्ण है कि कृषि की जो कला स्वयं स्त्रियों की पहल से विकसित हुई थी, वही उनके ज्ञान से वंचित हो रही है। अतः कृषि विषय की ओर आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाकर उच्च माध्यमिक कक्षा की छात्राओं को 1 हजार रुपये के स्थान पर 3 हजार तथा स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं को 3 हजार रुपये के स्थान पर 5 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

78. उन्नत एवं प्रमाणित बीजों के वितरण में लगभग 1 लाख 50 हजार किंटल की वृद्धि करते हुए, आगामी वर्ष में 9 लाख किंटल किया जायेगा। आगामी वर्ष में एक नया बीज विधायन संयंत्र IGNP क्षेत्र में लगाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कृषि के विविधीकरण पर बल देते हुए उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन हेतु राज्य बीज निगम द्वारा इन फसलों के 5 हजार किंटल उन्नत बीज का उत्पादन किया जायेगा। कृषि विपणन बोर्ड व निजी क्षेत्र के सहयोग से इनके विपणन के लिए आधारभूत सुविधायें विकसित की जायेंगी।

पशुधन :

79. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है और आज भी किसी जगह की अर्थव्यवस्था तभी विकसित परिलक्षित होती है, जब उसके पशुधन विकसित होते हैं। राज्य में पूर्व की पशु प्रजनन नीति (Breeding Policy) में संशोधन कर, नई नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है।

80. पशु चिकित्सा सेवा के विस्तार हेतु निजी सहभागिता के आधार पर 50 नये पशु चिकित्सालय एवं 100 नये उप-केन्द्र खोले जायेंगे। इसके लिए भूमि एवं भवन तथा आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। आगामी वर्ष में 200 नये पशु चिकित्सकों की भर्ती भी की जायेगी।

81. राज्य की एकमात्र Biological Products Laboratory हेतु ISO-2001 प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, इसे देश की सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रयोगशाला में Tissue Culture Vaccine भी बनाया जाना प्रस्तावित है।

वन एवं वन्यजीव :

82. आगामी वर्ष में वानिकी विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 90 लाख पौधों का वितरण प्रस्तावित है। वृक्षारोपण से विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए

न्यूनतम 50 प्रतिशत पौध वितरण विद्यार्थियों के माध्यम से किये जायेंगे, जिनमें छात्राओं को प्राथमिकता दी जायेगी। वानिकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 125 लाख मानव श्रम दिवसों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

83. ताल छापर अभयारण्य अपने काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसके समग्र विकास के लिए वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के लिए 2 करोड़ 82 लाख रुपये की पंचवर्षीय कार्ययोजना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत आगामी वर्ष में 1 करोड़ 10 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।

84. बारां में किशनगंज एवं शाहबाद के सहरिया क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजनाओं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं अकाल राहत कार्यों से राशि dovetail करते हुए वन भूमि के विकास हेतु इस वर्ष 3 करोड़ 50 लाख रुपये के व्यय से, 4 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में closures बनाये गये। इस कार्य में स्थानीय चार हजार सहरिया परिवारों को जोड़ते हुए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार का वन प्रबंधन व विकास का कार्य हाथ में लिया गया। आगामी वर्ष में भी 4 हजार हैक्टेयर नये क्षेत्र लिये जाकर इतने ही नये सहरिया परिवारों को जोड़ते हुए इसी प्रकार के closures बनाये जायेंगे, जिन पर 3 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

सहकारिता :

85. केन्द्रीय वित्तमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि किसान को 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण

मिले। हम और हमारे किसान इस आश्वासन की क्रियान्विति की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन वित्तमंत्री जी ने सहकारी बैंकों पर आयकर लगाने की घोषणा भी की है। हम इस बात से चिंतित हैं कि कदाचित् इससे ब्याज की दर बढ़ेगी, घटेगी नहीं।

86. लंबे समय के उपरांत इस वर्ष दुग्ध सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न कराये गये। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लगभग तीन दशकों के बाद कृषि उपज मंडियों के चुनाव कराये जाने प्रस्तावित हैं। यह निश्चय ही जन-प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में, सरकार का एक और महत्त्वपूर्ण कदम है।

87. विभिन्न जिलों में संचालित समग्र सहकारी विकास परियोजना के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम से शेष रहे जिलों में इसे चरणबद्ध तरीके से संचालित करने का निर्णय लिया है। आगामी वर्ष में 5 और जिलों में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। पाँच वर्ष की परियोजना अवधि में इन जिलों की सहकारी संस्थाओं को करीब 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

88. सरसों एवं अन्य कृषि जिंसों की खरीद, तथा उर्वरकों की समय पर उपलब्धता बनाये रखने के लिए, सहकारी संस्थाओं में भंडारण के लिए गोदामों की कमी महसूस की जाती रही है। इसके लिये राज्य की

484 सहकारी संस्थाओं में एक लाख 14 हजार मैट्रिक टन भंडारण क्षमता वृद्धि के लिए गोदाम निर्मित किये जायेंगे। आगामी वर्ष में इस पर करीब 37 करोड़ 42 लाख रुपये का व्यय संभावित है।

89. राज्य के सहकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान Spinfed की गुलाबपुरा और गंगापुर कताई मिलों में 48 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत से संचालित 'टफ' परियोजना के अच्छे परिणाम दिखाई देने लगे हैं। Spinfed की हनुमानगढ़ स्थित कताई मिल के लिए 29 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से भी 'टफ' परियोजना लागू कर उसके आधुनिकीकरण और पुनर्वास का कार्यक्रम बनाया गया है। इससे मिल में नवीनतम तकनीक की मशीनों की स्थापना कर सूत की गुणवत्ता व उत्पादकता को बढ़ाया जा सकेगा, ताकि यह मिल निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा में सफलतापूर्वक कार्य कर सके।

निवेश व औद्योगिक विकास :

90. राज्य सरकार की नियोजन प्रोत्साहन नीति एवं उत्प्रेरक भूमिका के परिणामस्वरूप राजस्थान में निवेश और औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना है। इस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में एक लाख नये रोजगार सृजन के लक्ष्य को माह जनवरी 2006 में ही प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2006-07 में भी एक लाख व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराने का लक्ष्य है, जिसमें रीको व राजस्थान वित्त निगम द्वारा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना व विस्तार के माध्यम से 17 हजार 500 तथा

प्रशिक्षण, ऋण व विपणन सहायता के माध्यम से 82 हजार 500 लोगों को रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे।

91. राज्य के दस्तकारों के उत्पाद सीधे क्रेताओं तक पहुंचाने व विपणन की सुविधा प्रदान करने हेतु 10 विभिन्न जिलों में ग्रामीण हाट स्थापित किये गये हैं। इनकी सफलता को देखते हुए राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसे हाटों के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है।

92. वर्ष 2005-06 में प्रारंभ किये गये 5 clusters के विकास में अच्छी प्रगति होने पर 10 और नये clusters का विकास किया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2006-07 में 4 करोड़ 73 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

93. राज्य में इस वर्ष पाँच स्थानों पर विभिन्न बैंकों की सहायता से ग्रामीण विकास व स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RUDSETI) स्थापित किये जा रहे हैं। आगामी वर्ष में कुछ अन्य जिलों में भी बैंकों द्वारा ऐसी संस्थाएँ स्थापित की जायेंगी। इन संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जाकर, बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इन युवाओं को स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज में 2 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु शीघ्र ही विस्तृत योजना घोषित की जायेगी।

94. इस वर्ष सिकंदरा में Stone Park स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। आगामी वर्ष में इस तरह का एक स्टोन पार्क धौलपुर

जिले में Public Private Partnership के आधार पर CDOS के माध्यम से स्थापित किया जायेगा।

95. आगामी वर्ष में धर्मस्थला ट्रस्ट व बैंकों की सहायता से बारां जिले में आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एक वृहद कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा। इसके माध्यम से एक लाख परिवारों को तकनीक हस्तांतरण, रोजगार के साधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने का पानी आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगीं। साथ ही लगभग 40 हजार हैक्टेयर ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना भी प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 9 हजार स्वयं सहायता समूह गठित किये जायेंगे जिनको आगामी 5 वर्षों में 135 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाना संभावित है।

96. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयोजन से खादी एवं ग्रामोद्योग का एक नया प्रशिक्षण केन्द्र पुष्कर में प्रारंभ किया गया है। इसी प्रकार आगामी वर्ष में एक और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा, जिसके लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

97. खादी, हथकरघा एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता व विपणन व्यवस्था सुधारने पर बल दिया जा रहा है। आधुनिक युग के अनुरूप Packaging, Designing एवं Marketing हेतु आगामी वर्ष के बजट में 2 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

98. बुनकरों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। राज्य सरकार बुनकर के बीमा अंशदान का 50 प्रतिशत वहन करेगी, जिससे मात्र 100 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर कोई भी बुनकर इस योजना का लाभ उठा सकता है। आगामी वर्ष में 5 हजार बुनकर परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

99. राज्य में हस्तशिल्प विपणन को प्रोत्साहन देने हेतु जयपुर शहर की मिर्जा इस्माइल रोड पर एक भव्य Mall अगले वर्ष कार्यशील कर दिया जायेगा। इसी तरह जलमहल के सामने दिल्ली हाट की तर्ज पर एक वृहद क्राफ्ट हाट भी निर्माण कर कार्यशील कर दिया जायेगा। इससे प्रदेश के दस्तकारों को अपना उत्पाद सीधे पर्यटकों को बेचने का अवसर मिलेगा।

100. सिलोरा—किशनगढ़ में public private partnership में एक एकीकृत Textile Park स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 270 करोड़ रुपये का विनियोजन संभावित है। इस पार्क में लगभग 50 आधुनिक weaving units स्थापित होंगी। इस Project से करीब 2 हजार 500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

101. हम चाहते हैं कि हर पर्यटक हमारी प्राकृतिक व पुरातात्विक सम्पदा से परिचित और अभिभूत हो। हमारी कोशिश होगी कि हर पर्यटक

अपने हृदय में हमारे रंग-बिरंगे प्रदेश की खूबसूरत यादें लेकर जाये। राज्य में पर्यटकों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप होटलों की मांग भी बढ़ी है। अतः इस क्षेत्र के आधारभूत ढाँचों में निवेश को बढ़ावा देने हेतु राज्य में नई होटल नीति मई के अंत तक घोषित की जायेगी।

102. आस्था का सम्मान करना व कला को प्रश्रय देना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भी है। गत दो वर्षों में पर्यटन, कला एवं संस्कृति हेतु आयोजना मद में 66 करोड़ 30 लाख रुपये आवंटित किये गये। अगले वित्तीय वर्ष में आयोजना मद में 50 करोड़ 3 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

103. राज्य के पुरातात्विक भवनों एवं पुरावस्तुओं के महत्त्व को देखते हुए Heritage Protection and Promotion Board का गठन किया जायेगा, जिसके लिए आगामी वर्ष में एक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह बृज क्षेत्र के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास हेतु एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जायेगी।

104. राजस्थान को विरासत में कई परकोटे एवं नगरद्वार मिले हैं, जो संरक्षण के अभाव में ध्वस्त हो रहे हैं, आगामी वर्ष नगरद्वारों के संरक्षण की महत्त्वाकांक्षी योजना आरंभ की जायेगी एवं इस प्रयोजनार्थ 2 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

आधारभूत संरचना :

105. आपको याद होगा कि मैंने, मेरे पिछले बजट भाषण में चार महत्त्वपूर्ण राज्य उच्च मार्गों को RIDCOR के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रमोन्नयन करने की घोषणा की थी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इसके लिए 18 जनवरी 2006 को 1 हजार करोड़ रुपये का अनुबंध कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ये Mega Highway फलौदी से रामजी की गोल (292 किलोमीटर), हनुमानगढ़ से किशनगढ़ (407 किलोमीटर), अलवर से सिकंदरा (81 किलोमीटर) व बारां से झालावाड़ (195 किलोमीटर) को जोड़ेंगे। लालसोट से कोटा (195 किलोमीटर) मार्ग के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं। मई 2006 में इसका अनुबंध कर कार्य प्रारंभ किये जाने की संभावना है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी कि ये सभी कार्य जनवरी 2008 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। ये सड़कें राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आधारभूत विकास के मेरे सपने को साकार करेगी, जिससे राज्य में अधिकाधिक निवेश व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

106. शासन की बागडोर संभालते ही हमने निर्माण की राह पर चलने, और नई राह का निर्माण करने का संकल्प लिया था। मेरी सरकार द्वारा पाँच वर्षों में निवेश को चार गुना बढ़ाते हुए 8 हजार 483 करोड़ रुपये की योजना बनाई है। वास्तव में, प्रथम दो वर्षों में ही 2 हजार 87 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

107. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जहाँ पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रतिदिन 4 किलोमीटर सड़क बनती थी व एक गाँव को

सड़क से जोड़ा जाता था, उसकी तुलना में आज हमारी सरकार प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़क बनाकर 4 गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ रही है।

108. सड़क क्षेत्र में, यातायात को सहज एवं सुगम बनाने के लिए R.O.B. और उपमार्गों के निर्माण की एक अभूतपूर्व पहल करते हुए आगामी वर्ष में राज्य में 17 R.O.B. और 25 उपमार्गों का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

109. वाहन चालकों को अधिक कुशल व सड़क दुर्घटनाओं के प्रति सावधानी बरतने के लिए आगामी दो वर्षों में सभी जिलों में स्ववित्त पोषण के आधार पर Driving Track का निर्माण किया जायेगा, जहाँ पर मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इससे वाहन चालन दक्षता में अपेक्षित वृद्धि होगी।

110. औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण जिला मुख्यालयों के आस-पास के क्षेत्र में विकसित उप-नगरों से संबंधित शहरों को परिवहन संसाधन से जोड़ने का प्रावधान है। आधारभूत सुविधाओं के अभाव में उप-नगरीय मार्गों की इस योजना का अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहा है। इस पूर्व योजना का पुनरावलोकन करते हुए मार्गों के गठन, सुविधायुक्त Bus Stands की स्थापना, एवं संचालित होने वाले वाहनों की

श्रेणी के निर्धारण आदि के संबंध में परिवहन एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जून 2006 तक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जानी प्रस्तावित है।

111. विद्युत की बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति हेतु विद्युत उत्पादन को बढ़ाना तथा वितरण एवं प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्ष 2006-07 में योजना मद में विद्युत कंपनियों हेतु 1 हजार 991 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

112. वर्ष 2005-06 में विद्युत की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिससे विद्युत उपलब्धता व उसकी मांग के बीच का अंतर बढ़ गया है। विद्युत की बढ़ती हुई मांग राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का प्रतीक है। राज्य सरकार ने अधिकतम विद्युत उत्पादन तथा अन्य राज्यों से अतिरिक्त विद्युत क्रय कर कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करने का पूरा प्रयास किया है। चालू रबी के मौसम में गत वर्ष की अपेक्षा 100 लाख यूनिट प्रतिदिन अधिक आपूर्ति की गई। इस हेतु 525 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिजली क्रय की गई।

113. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद Feeder सुधार कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2005-06 में 850 Feeders के नवीनीकरण के विरुद्ध आगामी वर्ष में 3 हजार 500 Feeders पर कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इस कार्यक्रम से विद्युत की छिज़त में कमी आयेगी एवं उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।

वर्ष 2006-07 में 33 K.V. के 180 नये Grid Sub-Stations का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है। विद्युत वितरण व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु गत वर्ष के 773 करोड़ 76 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 2006-07 में 1 हजार 49 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

114. राज्य सरकार ने 4 हजार 500 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि करने की व्यूह रचना बनाई है, जिसमें 1 हजार 500 मेगावाट क्षमता की वृद्धि निजी क्षेत्र में होने की संभावना है। वर्ष 1996 में अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया को अपनाते हुए M/s West Power को लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु प्रायोजक घोषित किया गया था। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि पुनर्गठित consortium स्वयं आगे आया है और राज्य सरकार ने 1 हजार मेगावाट की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना दो चरणों में स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। परंपरागत ऊर्जा उत्पाद के लिए पहली बार निजी क्षेत्र में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस परियोजना से राज्य को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

115. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम (RSMML) ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अनूठी पहल करते हुए दो वर्ष पूर्व जैसलमेर में 14.08 मेगावाट क्षमता के ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये थे, जिनसे प्रतिवर्ष 270 लाख यूनिट बिजली राजस्थान Grid में दी जा रही है। यदि यही विद्युत कोयला आधारित ताप विद्युतघर से उत्पादित की जाती, तो

वातावरण में प्रतिवर्ष करीब 15 हजार टन carbon di-oxide का और प्रदूषण होता। इस आधार पर निगम को kyoto protocol के अनुसार carbon credits प्राप्त हुए हैं। निगम carbon credits प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम कंपनियों में से एक है।

116. ऊर्जा की कमी को देखते हुए गैर-परंपरागत ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार ने समय-समय पर कुछ सुविधाएँ दी हैं और कुछ संशोधन भी किये हैं। हमारे प्रदेश में लाखों टन सरसों और अन्य कृषि उत्पाद होते हैं, जिन पर आधारित Biomass ऊर्जा संयंत्र लगाये जा सकते हैं। अतः Biomass जनित ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक नीति बनाना आवश्यक है। सरकार शीघ्र ही यह नीति जारी करेगी।

117. खनन क्षेत्र के श्रमिकों की स्वास्थ्य सुविधा के विकास हेतु, चिकित्सा विभाग के तत्वाधान में, खान मालिकों की सहभागिता से श्रमिकों के समन्वित चिकित्सा जांच एवं बीमा कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

118. इस वर्ष पेयजल आपूर्ति में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की गई है। आगामी वर्ष के लिए 10 हजार अलाभान्वित व आंशिक लाभान्वित गाँवों, ढाणियों, अनुसूचित जाति व जनजाति की 500 बस्तियों तथा सभी राजकीय विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

119. संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जनवरी 2006 तक कुल 2 लाख 14 हजार 235 व्यक्तिगत आवासीय शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आगामी वर्ष में सर्वशिक्षा अभियान व DPEP के सहयोग से राजकीय भवनों में संचालित 48 हजार 892 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस पर कुल 97 करोड़ 78 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

120. राजस्थान एकीकृत फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आगामी वर्ष में 3 से 5 PPM Flouride वाले 7 हजार 699 गाँवों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत भू-जल की गुणवत्ता में सुधार हेतु UNICEF की सहायता से 1 करोड़ 50 लाख रुपये के व्यय से 100 Rain Water Harvesting Structures का निर्माण किया जायेगा।

121. बीसलपुर बांध से टोंक जिले के 427 गाँवों व 2 कस्बों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु अगले वर्ष 85 करोड़ रुपये लागत की परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

122. वर्तमान में 3 हजार 529 करोड़ रुपये की लागत की 17 वृहद पेयजल योजनाओं पर कार्य चालू है। राज्य के पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों की पेयजल समस्या के दूरगामी समाधान हेतु 6 हजार 660 करोड़ रुपये की लागत से 12 वृहद योजनायें चिन्हित की गई हैं। इन योजनाओं

के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए भारत सरकार से सहायता लेने हेतु प्रयास जारी हैं।

123. जल संसाधन की वृहद कार्ययोजना बनाने एवं बेहतर प्रबंधन तंत्र विकसित करने के लिए Rajasthan Water Initiative का गठन किया जा रहा है। यह पहल दावोस World Economic Forum के सम्मेलन की एक उपलब्धि है।

124. आगामी वर्ष में 25 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया जाकर एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के अलावा, 57 हजार 150 हैक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण कार्य कराया जाना भी प्रस्तावित है।

125. सिंचाई सुविधाओं में विस्तार करते हुए अगले वर्ष अँधेरी, ल्हासी, पीपलाद एवं गागरीन में 4 नई मध्यम सिंचाई परियोजनायें केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति उपरांत प्रारंभ की जायेंगी। साथ ही बालापुра Lift, अहमदी, पृथ्वीपुरा, चैलीया, रेवा, बागली, कड़माली, जाल सागर, भीखाभाई सागवाड़ा Canal R.D. 32.20 से 37.70 किलोमीटर एवं 37.70 से 51.76 किलोमीटर नई लघु सिंचाई परियोजनायें भी शुरू की जायेंगी।

126. परवन वृहद परियोजना, राजगढ़-मनोहरथाना एवं हथियादेह मध्यम परियोजनाएँ तथा धौलपुर Lift परियोजना की विस्तृत

परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

127. हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में खरीफ वर्ष 2001 से रबी 2002-03 तक की फसलों का आबियाना वर्ष 2004 में माफ कर दिया गया था। किन्तु, इससे पूर्व ही कुछ काश्तकारों ने इन फसलों का सिंचाई कर जमा करा दिया था। इन काश्तकारों के अनुरोध पर इनको भी छूट का लाभ देते हुए, उनके द्वारा पूर्व में जमा करवाई गई राशि को उनके सिंचाई कर की लंबित मांग के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

128. साथ ही इन्हीं जिलों के नहरी क्षेत्रों में खरीफ 2003 से खरीफ 2005 तक की फसलों का बकाया आबियाना जमा कराने की अवधि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र के किसानों को 30 अप्रैल 2006 तक बकाया जमा कराने पर उन्हें ब्याज वसूली से छूट मिल सकेगी।

129. Japan Bank for International Co-operation की ऋण सहायता से 26 जिलों में 415 लघु सिंचाई परियोजनाओं की पुनरुद्धार की 612 करोड़ 39 लाख रुपये की परियोजना को आगामी वर्ष से शुरू कर 6 वर्षों में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के पूर्ण होने पर न केवल 1 लाख 27 हजार 442 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें

सुनिश्चित हो सकेंगी बल्कि 12 हजार 744 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

130. European Commission के साथ 450 करोड़ रुपये के State Partnership Programme को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत 10 जिलों की लगभग 25 पंचायत समितियों में पंचायती राज संस्थाओं एवं जन उपभोक्ता संघों के माध्यम से जल संरक्षण कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

131. इंदिरागांधी नहर परियोजना के आधुनिकीकरण एवं पुनरुद्धार हेतु आगामी चार वर्षों में 300 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 20 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण हेतु 28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार सिद्धमुख नोहर परियोजना में 22 हजार हैक्टेयर क्षेत्र और अमरसिंह जस्साना परियोजना में 10 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में खाले निर्माण हेतु क्रमशः 18 करोड़ और 8 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

132. चालू वर्ष में चंबल परियोजना में नहरों का जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण करने हेतु 7 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया गया था। आगामी वर्षों में दाहिनी मुख्य नहर के जीर्णोद्धार एवं

सुदृढीकरण हेतु 20 करोड़ रुपये और बाँई मुख्य नहर के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा ।

133. शहरी विकास समाज की समृद्धि का एक मानक रहा है । जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन, जल निकासी, शहरी यातायात, Slum सुधार तथा गंदी बस्ती में रहने वालों और गरीबों हेतु अत्यंत कम लागत की आवास परियोजनाओं आदि के लिए आगामी वर्ष में 180 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है ।

134. नागरिकों की आवास संबंधी मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु "आवास नीति" का बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी । शहरी क्षेत्र में बहु मंजिली इमारतों तथा लोगों में Flat में रहने के प्रति रुझान को देखते हुए Flats के निवासियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु शीघ्र ही Apartment Act लाया जायेगा । बदलती हुई परिस्थिति एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर एक आदर्श नगरपालिका अधिनियम का बनाया जाना भी प्रस्तावित है ।

135. राजस्थान आवासन मंडल द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे आवासों की किश्तों पर देय ब्याज दरों में एक प्रतिशत तक की कमी की जायेगी । इससे लगभग 50 हजार आवंटियों को लाभ मिलेगा ।

136. नगरीय क्षेत्र में जल के दोहन के फलस्वरूप जल स्तर को गिरने से रोकने के लिए सभी भवनों में वर्षा जल संग्रहण को समयबद्ध ढंग से लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में नगरीय क्षेत्र की पुरानी बावड़ियों, तालाबों एवं जोहड़ों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण हेतु जन-सहभागिता कार्यक्रम शुरू किया जायेगा।

प्रशासनिक सुविधायें एवं सुधार :

137. आज भी राज्य की भिन्न-भिन्न तहसीलों में पैमाइश के अलग-अलग मानक चल रहे हैं। अतः कृषि भूमि के मापन के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, आगामी वर्षों में पूरे राज्य में एक समान ज़रीब की मैट्रिक प्रणाली लागू की जायेगी। भूमि के नक्शे के Digitisation का कार्य शुरू किया जायेगा, जिससे कि खातेदार को जमाबंदी computerised नक्शे के साथ दी जा सके।

138. राज्य के ऐसे उपखंड अधिकारी कार्यालय, जो तहसील से क्रमोन्नत होकर बने हैं, के भवन निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रशासनिक प्रबंधन की दक्षता हेतु यथासंभव नये उपखंड अधिकारी कार्यालय के भवन तहसील कार्यालय भवन के साथ-साथ एक ही Campus में बनाये जायेंगे।

139. वक्फ बोर्ड के नये कार्यालय भवन हेतु अगले दो वर्षों में 1 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जायेगा।

140. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 के स्थान पर नया काश्तकारी अधिनियम लाया जायेगा। इसके लिए मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस संबंध में प्राप्त विभिन्न सुझावों व बिन्दुओं का परीक्षण किया जा रहा है।

141. विभिन्न न्यायालयों की भवन संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के भवन विस्तार एवं भूमिगत Parking के लिए क्रमशः 22 करोड़ 78 लाख रुपये एवं 5 करोड़ 7 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। बीकानेर में न्यायालय भवन का निर्माण पूरा होने के निकट है और बनीपार्क, जयपुर में 8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नया न्यायालय भवन बनाया जा रहा है। इसी प्रकार हनुमानगढ़ में 3 करोड़ 34 लाख रुपये, नाथद्वारा में 1 करोड़ 84 लाख और मेड़ता में 67 लाख रुपये की अनुमानित लागत से न्यायालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

142. राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ का भवन काफी पुराना हो जाने एवं मुकदमों की संख्या बढ़ने से पक्षकारों, अभिभाषकों तथा न्यायाधिपतिगण को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः इस हेतु नया भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर Architectural Competition के आधार पर कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

143. अचल संपत्ति के पंजीयन को आमजन हेतु और सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से जयपुर शहर में एक पायलट कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधानुसार अपनी अचल संपत्ति, जो जयपुर शहर, सांगानेर अथवा आमेर तहसील में कहीं भी स्थित हो, का पंजीयन जयपुर के किसी भी उप-पंजीयक कार्यालय में करा सकेगा। यह Anywhere Registration की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू की जायेगी।

144. अचल संपत्ति के दस्तावेजों की पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं जनता के लिए सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से उस अचल संपत्ति के मौका निरीक्षण की व्यवस्था समाप्त की जा रही है, ताकि सभी दस्तावेज तत्काल पंजीबद्ध करके लौटाये जा सकें। 25 लाख रुपये से अधिक की मालियत के मामलों में पंजीयन के पश्चात् सभी मामलों में तथा अन्य प्रकरणों में random परीक्षण किया जायेगा। गलत तथ्य बताकर करापवंचन पाये जाने पर नियमानुसार शास्ति वसूल की जायेगी।

सैनिक कल्याण :

145. इंदिरागांधी नहर परियोजना Phase-II में 11 हजार भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षित भूमि का पूर्ण आवंटन किया जा चुका है। आवंटन से शेष पूर्व सैनिकों के लिए भी अतिरिक्त भूमि आरक्षित कर, आवंटन की कार्रवाई की जायेगी।

146. इस वर्ष से दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों की पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं को दी जा रही मासिक पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये की गई थी। आगामी वर्ष से इसे और बढ़ाकर 800 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशन प्राप्त कर रहे सैनिकों को दी जा रही पेंशन में इस वर्ष बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन अब आगामी वर्ष से इनको भी 800 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जायेगी।

147. सैनिक कल्याण विभाग व जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों का Computerisation किया जायेगा। डीडवाना (नागौर), शेरगढ़ (जोधपुर), नीमकाथाना (सीकर), बहरोड़ (अलवर) में नये सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जायेंगे। भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं के बच्चों हेतु कोटा के Coaching Institutes में admission लेने के पश्चात् उनके रहने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की सहभागिता से छात्रावास खोला जायेगा।

148. Gallantry Award धारकों को उनके पराक्रम के लिए देय नकद राशि में 10 गुनी वृद्धि की जायेगी। इस प्रकार परमवीर चक्र हेतु यह राशि 22 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख 25 हजार रुपये, अशोक चक्र हेतु 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये, महावीर चक्र हेतु 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये, कीर्ति चक्र हेतु 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपये, वीर चक्र हेतु 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 70 हजार रुपये, शौर्य चक्र हेतु 5 हजार रुपये से बढ़ाकर

50 हजार रुपये, सेना, वायुसेना, नौसेना मेडल हेतु 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये की जायेगी।

कर्मचारी कल्याण :

149. शौर्य के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित पुलिस कर्मियों को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये, व शौर्य के लिए पुलिस पदक हेतु पूर्व में देय राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया है।

150. सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों हेतु चिकित्सा रियायत योजना वर्ष 1981 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना में सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने पर लगातार बढ़ते व्यय भार को देखते हुए इस वर्ष सरकार ने 15 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये हैं, जो पूर्व में किसी भी वर्ष में उपलब्ध करवाये गये अंशदान से अधिक है।

151. सामान्यतया, पूर्व में राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में जो वृद्धि की जाती थी, उसमें समस्त Arrear को GPF खाते में जमा किया जाता रहा है। परंतु इस वर्ष सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को जुलाई 2005 से देय महंगाई भत्ते की किश्त के अधिकतर हिस्से का भुगतान नकद में किया गया है, जो कदाचित् अभूतपूर्व है।

152. राज्य कर्मचारियों की सुविधा हेतु एक व्यापक web-portal बनाया जायेगा, जिसके माध्यम से राज्य बीमा एवं GPF खातों संबंधी सूचना कर्मचारियों द्वारा Internet के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी।

153. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों में दैनिक भत्ते (Halting Allowance) की दरें पूर्व में वर्ष 1992 में संशोधित की गई थीं। 14 वर्ष पूर्व निर्धारित दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। अतः इस हेतु नये नियम बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

कर प्रस्ताव

154. अध्यक्ष महोदया, अब मैं सदन के समक्ष कर प्रस्तावों का उल्लेख करूंगी ।

155. मुझे सदन को अवगत कराते हुये प्रसन्नता हो रही है कि राज्य की कर प्रणाली में हमारी सरकार द्वारा किये गये सुधारों, प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा कुशल कर प्रबंधन के उत्साहवर्धक परिणाम उत्तम कर संग्रहण के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं । मुझे विश्वास है कि गत वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-06 की कर आय में लगभग 15.50 प्रतिशत वृद्धि होगी । मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि राज्य के व्यवसाय, उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु कर सुधारों की हमारी यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी ।

156. जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इस वित्तीय वर्ष में अधिकांश राज्यों ने वैट कर व्यवस्था लागू कर दी है । हमारे पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश एवं गुजरात के साथ-साथ छत्तीसगढ़ ने भी 1 अप्रैल, 2006 से वैट लागू करने की घोषणा की है । राज्य के व्यापार, उद्योग, उपभोक्ता संगठनों, अर्थशास्त्रियों, कर सलाहकारों तथा जनप्रतिनिधियों से गत दिनों विस्तृत विचार विमर्श करने पर यह बात उभर कर सामने आई है कि राज्य

के औद्योगिक विकास एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा राज्य के समग्र विकास के लिए प्रगतिशील वैट व्यवस्था को अपनाना राज्य हित में होगा।

157. केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण से इंगित होता है कि केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किये जाने, एवं इससे होने वाले राजस्व की संभावित हानि की क्षतिपूर्ति के उपायों की ओर केन्द्रीय सरकार और राज्य के वित्त मंत्रियों की Empowered Committee अग्रसर हैं। अतः सदन की अनुमति से राज्य में दिनांक अप्रैल 1, 2006 से वैट कर प्रणाली प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है।

158. वैट कानून के लागू होने पर उद्योग एवं व्यापार से जुड़े dealers को प्रारंभ में कुछ भ्रान्तियाँ एवं कठिनाईयाँ होना स्वाभाविक है। अतः उनकी प्रारंभिक समस्याओं के सामयिक समाधान हेतु राज्य स्तर पर एक अभाव अभियोग समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह समिति वैट लागू होने के प्रथम वर्ष में व्यापारिक संस्थानों एवं कर सलाहकारों से विचार विमर्श कर, उनसे प्राप्त होने वाले सुझावों पर अपनी राय राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। यही नहीं, जिला स्तर पर भी वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ऐसी समितियों का गठन किया जायेगा।

159. यहां मैं सदन के ध्यान में लाना चाहूँगी कि इस कानून के तहत राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार द्वारा गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों की Empowered Committee द्वारा निर्धारित दरों

को अपनाया जायेगा । परन्तु राज्य की विशेष आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं राखी, कृपाण, प्रसाद एवं पूजन सामग्री, चाँक एवं तख्ती, सरकंडे से बने मुड्ढे, मुरमुरे, पोहा, खील, पत्तल—दोने, पतंग, हस्त निर्मित अगरबत्ती, हस्तशिल्प जैसे Blue Pottery, puppet इत्यादि को वैट से मुक्त रखना भी प्रस्तावित करती हूँ। इन सब कर मुक्त वस्तुओं की विस्तृत सूचना वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाईट पर देखी जा सकेगी ।

160. वर्तमान में मोटर पार्ट्स एवं accessories पर 1 प्रतिशत तथा इलैक्ट्रिकल तथा इलैक्ट्रोनिक सामान, उनके पार्ट्स एवं accessories पर 4 प्रतिशत प्रवेश कर है। इन वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में राज्य में विनिर्माण के काम में लेने पर राज्य के उद्योगों पर अनावश्यक भार पड़ रहा है, जिससे उन्हें दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्धा में कठिनाई हो रही है। इसके निराकरण हेतु मैं, राज्य में इलैक्ट्रिकल तथा इलैक्ट्रोनिक उत्पाद एवं मोटर वाहनों के विनिर्माण में प्रयुक्त किये जाने पर, उक्त पार्ट्स एवं accessories को प्रवेश कर से मुक्त करना प्रस्तावित करती हूँ।

161. राज्य में आटो पार्ट्स एवं ancillaries की नई इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मैं, इनकी केन्द्रीय विक्रय कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित कर रही हूँ।

162. राज्य में खाद्य तेल उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा इस उद्योग से जुड़े सैंकड़ों व्यवसायों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से मैं कुछ प्रस्ताव कर रही हूँ।

163. वर्तमान में समस्त प्रकार के oil seeds पर 1.6 प्रतिशत मंडी शुल्क देय है, इसे घटाकर 1 प्रतिशत करना प्रस्तावित करती हूँ। सरसों एवं इसके तेल का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में non-SSI ऑयल मिलों द्वारा सरसों की खरीद पर 2 प्रतिशत purchase tax देय है, इसे घटाकर 1 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में सरसों के तेल को राज्य से बाहर बेचे जाने पर 2 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर देय है, जिसे घटाकर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। मैं आशा करती हूँ कि टैक्स रेट के इस rationalization से, राज्य के सरसों आधारित तेल उद्योग के व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी तथा इससे tax compliance भी बेहतर होगी।

164. इसके अलावा मैं तिल पर देय 1 प्रतिशत प्रवेश कर को समाप्त करना प्रस्तावित करती हूँ। तिल पर वर्तमान में 4 प्रतिशत purchase tax देय है। तिल उद्योग को राहत प्रदान करने की दृष्टि से दिनांक 30 मार्च, 2001 एवं इसके बाद की अवधि के लिए तिल पर purchase tax को 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। मुझे विश्वास है कि इन राहतों से हमारा यह उद्योग पनपेगा।

165. वर्तमान में सिगरेट, चिरूट, सिगार तथा सिगारीलो पर 6 प्रतिशत, गुटका और चूरी को सम्मिलित करते हुये जर्दायुक्त पान मसाला पर 16 प्रतिशत एवं सादा पान मसाला पर 4 प्रतिशत प्रवेश कर देय है। इन पदार्थों के सेवन से जनस्वास्थ्य पर होने वाले हानिकारक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, इनके उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से, सिगरेट, चिरूट, सिगार तथा सिगारीलो पर प्रवेश कर की दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत तथा गुटका और चूरी को सम्मिलित करते हुये जर्दायुक्त पान मसाला पर प्रवेश कर की दर को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत, तथा सादा पान मसाला पर प्रवेश कर की दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित कर रही हूँ।

166. मैं Wind Mill एवं उससे संबंधित उपकरणों पर 1 प्रतिशत, Optical Fibre Cable, Polyethylene Insulated Jelly Filled Telecommunication cables पर 2 प्रतिशत, Ceramic एवं Glazed Tiles, ग्लास और ग्लास शीट, सभी प्रकार के सेनेटरी का सामान और फिटिंग्स, पाइप और पाइप फिटिंग पर 4 प्रतिशत प्रवेश कर लगाना प्रस्तावित कर रही हूँ। इन समस्त वस्तुओं को राज्य में कर चुका कर खरीदने की स्थिति में इन्हें प्रवेश कर से मुक्त रखा जायेगा।

विद्युत शुल्क:

167. Captive Power Generation पर विद्युत शुल्क राज्य में उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनाने में बाधक बना है। राज्य में नये उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा विद्यमान उद्योगों को राहत प्रदान करने हेतु मैं, Captive Power Generation को विद्युत शुल्क से मुक्त करना प्रस्तावित करती हूँ। मुझे विश्वास है कि इससे राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भू-जल संरक्षण:

168. हमारे राज्य में पानी की भारी कमी है और राज्य में जनसंख्या में वृद्धि तथा विकास की विभिन्न गतिविधियों में पानी की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु भू-जल संसाधनों पर निर्भरता निरन्तर बढ़ रही है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भू-जल स्रोतों के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग में हो रहे अत्यधिक दोहन से जल स्तर निरन्तर नीचे गिरता जा रहा है, जो चिन्ता का विषय है। हमारी प्राथमिकता जनसाधारण को पेयजल उपलब्ध कराना एवं कृषि हेतु जल उपलब्ध कराना है। चूंकि अत्यधिक भू-जल दोहन जनसाधारण एवं किसानों के हित में नहीं है, अतः इन संसाधनों पर नियंत्रण एवं उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए The Rajasthan Regulation and Control of the Development and Management of Ground Water Bill, 2006 सदन के इसी सत्र में प्रस्तुत

किया जाएगा। इसके तहत भू-जल के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग पर शुल्क लगाना प्रस्तावित है। इस शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि से एक फण्ड का गठन किया जायेगा जिससे जल-संरक्षण कार्यों को गति मिल सकेगी।

मनोरंजन एवं विलासिता कर:

169. राज्य में होटल आदि पर वर्तमान में विलासिता कर 8 प्रतिशत की दर से 1 हजार रुपये एवं इससे अधिक कमरों का प्रतिदिन किराया होने पर देय है। मैं, प्रति कमरा प्रतिदिन का किराया 3 हजार या इससे अधिक होने पर विलासिता कर की दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना प्रस्तावित कर रही हूँ। परन्तु हैरिटेज होटलों के राज्य के पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए उन पर विलासिता कर की वर्तमान व्यवस्था में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है।

170. केबल नेट वर्क के माध्यम से सेवादाताओं को मनोरंजन कर की परिधि में प्रथम बार वर्ष 1999 में लाया गया था। लेकिन कम्पोजीशन स्कीम के अनुसार राशि जमा कराने का विकल्प दिये जाने से इस मद से नगण्य कर राजस्व की प्राप्ति हो रही है। राज्य में केबल नेट वर्क के बढ़ते हुये प्रचलन से राज्य के सिनेमाओं पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव तथा केबल आपरेटर्स द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल की जा रही राशि को दृष्टिगत रखते हुये मैं, केबल नेट वर्क की वर्तमान कम्पोजीशन स्कीम को समाप्त करते

हुए, प्रति कनेक्शन मनोरंजन कर की राशि को 10 रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 20 रूपये प्रतिमाह प्रति उपभोक्ता कनेक्शन करना प्रस्तावित करती हूँ।

171. वीडियो पार्लर एवं वीडियो सिनेमा पर Rajasthan Video Films (Regulations of Exhibition) Act, 1990 एवं Rules, 1992 के अधीन मनोरंजन कर देय है। केबल नेट वर्क के विस्तार से वीडियो पार्लर एवं वीडियो सिनेमाओं की उपादेयता लगभग समाप्त हो गई है। अतः इस अधिनियम एवं नियमों को repeal किया जाना प्रस्तावित है।

परिवहन:

172. राज्य में गत वर्षों में जनसंख्या में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप जन आकांक्षाओं की अपेक्षानुसार यातायात के साधनों का विस्तार नहीं हो सका है। अतः कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले आमजन को उपखंड तथा जिला मुख्यालयों तक सुविधाजनक सीधी सेवाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के स्टेज कैरिज वाहनों को राष्ट्रीय मार्गों पर 50 किलोमीटर तक overlap की छूट देने पर विचार किया जायेगा। इसके अलावा 26 राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत करने पर भी विचार किया जाना प्रस्तावित है।

173. औद्योगीकरण एवं शहरीकरण के कारण जिला मुख्यालयों के आस-पास के क्षेत्र में उप-नगर विकसित हो रहे हैं। आधारभूत सुविधाओं के अभाव में, इन उप-नगरों को, संबंधित जिला मुख्यालयों से यातायात के साधन सुलभ कराने की योजना के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि इस योजना को review किया जावे। इस हेतु मार्गों का गठन करने, स्थानीय निकायों द्वारा सम्पूर्ण सुविधायुक्त बस स्टेण्डों की स्थापना करने, एवं इन मार्गों पर संचालित होने वाले वाहनों की श्रेणी इत्यादि के निर्धारण के संबंध में परिवहन विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे। इस योजना से उप-नगरों से जिला मुख्यालय तक प्रतिदिन आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए सुचारु उप-नगरीय परिवहन व्यवस्था विकसित हो सकेगी।

174. राज्य में पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए मैं यह प्रस्तावित करती हूँ कि, पर्यटक अनुज्ञापत्र से भिन्न संविदा अनुज्ञापत्रों पर संचालित वाहनों पर देय विशेष पथ कर की वार्षिक दर, जो वर्तमान में चैसिस लागत का 36 प्रतिशत एवं यान की लागत का 22 प्रतिशत है, को घटा कर 1 अप्रैल 2006 से क्रमशः 24 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत किया जाये। मेरा विश्वास है कि इस कदम से कर अपवंचना में कमी होगी एवं राजस्व आय में भी वृद्धि होगी।

175. मोटर वाहनों से हो रहे वायु जनित प्रदूषण से आम आदमी के स्वास्थ्य पर हो रहे कुप्रभाव को कम करने एवं पुराने वाहनों के प्रयोग को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान मोटर यान कराधान

अधिनियम, 1951 में संशोधन कर 15 वर्ष पुराने निजी वाहनों एवं 7 वर्ष से पुराने व्यावसायिक वाहनों पर "ग्रीन टैक्स" लगाया जाना प्रस्तावित है। इस टैक्स से प्राप्त राशि का उपयोग मोटर वाहन जनित प्रदूषण पर अंकुश एवं नियंत्रण करने हेतु आधारभूत ढाँचे के विकास के लिये किया जावेगा।

पंजीयन एवं मुद्रांक :

176. समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर गरीब महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, दस्तकारों आदि को राहत प्रदान करने हेतु यह प्रस्तावित है कि स्वयं सहायता समूहों एवं Differential Rate of Interest योजनाओं के ऋण संबंधी दस्तावेजों को मुद्रांक शुल्क से पूर्णतः मुक्त किया जाए।

177. वर्तमान में स्टाक एक्सचेंज तथा सम्बद्ध संघों एवं व्यक्तियों द्वारा डीमेट खातों (इलेक्ट्रॉनिक) के लेन देन पर मुद्रांक शुल्क लागू नहीं है जबकि अब उक्त कारोबार डीमेट खातों से ही किया जाता है। इन खातों पर मुद्रांक शुल्क प्रत्यारोपित करने हेतु राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 में "निष्पादन", "हस्ताक्षरित", "दस्तावेज" एवं "सिक्योरिटी" की परिभाषाओं में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।

अन्य:

178. वर्तमान में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि जिला कलक्टर, सिवाय चक अथवा अन्य सरकारी भूमि को, शहरी स्थानीय निकायों यथा जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यासों, नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं को, संबंधित जिला स्तरीय समितियों द्वारा निर्धारित भूमि दरों का निश्चित प्रतिशत लेकर आवंटित कर सकेंगे। यह प्रस्तावित है कि आगामी वित्तीय वर्ष से सरकारी भूमि के विक्रय के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य शहरी स्थानीय निकायों को जो आय प्राप्त होगी, उसका जयपुर विकास प्राधिकरण 30 प्रतिशत हिस्सा एवं नगर सुधार न्यास 15 प्रतिशत हिस्सा राजकोष में जमा करायेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यासों द्वारा उनके पास शेष रहे हिस्से में से 15 प्रतिशत राशि स्थानीय शहरी निकायों को स्थानान्तरित की जायेगी।

179. वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं अन्य समान प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली बड़े भू-खण्डधारी समाज के विकास और कल्याण के लिए योगदान करने में सक्षम हैं। मैं, वित्त विधेयक के माध्यम से एक नया भूमि कर लगाना प्रस्तावित कर रही हूँ जिससे कि इस विधेयक के दायरे में आने वाले भू-मालिकों पर यह कर लगाया जा सके। मैं, यह भी बताना उचित समझती हूँ कि कृषि, आवासीय एवं सार्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि को इस कर के दायरे से बाहर रखा गया है।

180. मैं समझती हूँ कि इस सदन का कोई भी सदस्य इस बात से असहमत नहीं होगा कि निर्धन और निर्बल को राज्य से सहायता मिलनी ही चाहिए। साधनों की कमी से अब तक हम इस तबके को वह सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पाये हैं जिनकी इनको नितान्त आवश्यकता है। ना ही इन तबकों के आखिरी व्यक्ति तक हम पहुँच पाये हैं। आधुनिकीकरण से उत्पन्न प्रदूषण जैसी नई समस्याओं से भी गरीब ही सबसे अधिक प्रभावित है। मैं चाहती हूँ कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़े, और इन्हीं के लिए संसाधन एकत्रित करने हेतु मैंने ग्रीन टैक्स, भू-जल उपयोग पर शुल्क और भूमि कर इत्यादि इस बजट में प्रस्तावित किए हैं।

वर्ष 2005—06 के संशोधित अनुमान :

181. वर्ष 2005—06 के बजट अनुमानों में 1 हजार 523 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया था। बजट अनुमानों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि में लगभग 30 करोड़ रुपये की कमी संभावित है, परन्तु राज्य के अपने कर राजस्व में लगभग 126 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही, राजस्व व्यय में 450 करोड़ रुपयों की कमी संभावित है। इससे चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में राजस्व घाटा 865 करोड़ 37 लाख रुपये रहना संभावित है। चालू वर्ष के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों का 7.42 प्रतिशत अनुमानित किया गया था, जो संशोधित अनुमानों के अनुसार घटकर 4.17 प्रतिशत रहने की संभावना है।

182. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों एवं राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की दृष्टि से कम मात्रा में ऋण लेने से पूंजीगत प्राप्तियों में कमी हुई है। अतः संशोधित अनुमानों में

46 करोड़ 39 लाख रुपये का बजट अधिशेष ही अनुमानित है।
वर्ष 2005—06 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:—

(निकटतम लाख रुपयों में)

1. राजस्व प्राप्तियां	20 हजार	745 करोड़	82 लाख	रुपये
2. राजस्व व्यय	21 हजार	611 करोड़	19 लाख	रुपये
3. राजस्व खाते में घाटा		865 करोड़	37 लाख	रुपये
4. पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	8 हजार	233 करोड़	11 लाख	रुपये
5. पूंजीगत व्यय	7 हजार	321 करोड़	35 लाख	रुपये
6. पूंजीगत खाते में अधिशेष		911 करोड़	76 लाख	रुपये
7. कुल बजट अधिशेष		46 करोड़	39 लाख	रुपये

वर्ष 2006—07 के बजट अनुमान :

183. वर्ष 2006—07 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

(निकटतम लाख रुपयों में)

1. राजस्व प्राप्तियां	23 हजार	991 करोड़	35 लाख	रुपये
2. राजस्व व्यय	24 हजार	34 करोड़	35 लाख	रुपये
3. राजस्व खाते में घाटा		43 करोड़		रुपये
4. पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	9 हजार	689 करोड़	92 लाख	रुपये
5. पूंजीगत व्यय	9 हजार	586 करोड़	7 लाख	रुपये
6. पूंजीगत खाते में अधिशेष		103 करोड़	85 लाख	रुपये
7. कुल बजट अधिशेष		60 करोड़	85 लाख	रुपये

184. आगामी वर्ष का राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों का मात्र 0.18 प्रतिशत रहना अनुमानित है। उल्लेखनीय है कि बारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2008—09 में राजस्व घाटा समाप्त करने की सिफारिश की है। हमें आशा है कि हमारा राजस्व घाटा, वर्तमान अनुमानों के अनुसार, संभवतः वर्ष 2007—08 में ही समाप्त हो जायेगा।

185. मैं वर्ष 2006—2007 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रही हूँ। साथ ही राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की अपेक्षा के अनुसार मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण, मैं सभा पटल पर रख रही हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

186. हमारा यह आय—व्ययक अनुमान समन्वय (Co-operation), समेकन (Consolidation) एवं सहभागिता (Participation) से प्रेरित है। यह हमारे आदर्शों को यथार्थ में परिणत करने की दिशा में किया गया संकल्प है। हमें विश्वास है कि यह राज्य को समानता और स्वतंत्रता के साथ समृद्धि एवं संवृद्धि की नई दिशा देगा।

187. इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ।